

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या: /XVII-2/2012-01(14)/2008
देहरादून दिनांक 07 अगस्त, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56 वर्ष 2007) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन भरण-पोषण के लिये दिये गये आदेश पर न्याय निर्णयन और निर्णित किये जाने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उपखण्ड (परगना) में एक-एक भरण-पोषण अधिकरण का गठन करते हैं।

2. राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिकरणों की अध्यक्षता सम्बन्धित उपखण्ड के उपजिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(सुबर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांक संख्या:- 899/XVII-2/2012-01(14)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां परिनियेतन में प्रकाशित कर यथाशीघ्र समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 तम्ना)

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या: /XVII-2/2012-01(14)/2008
देहरादून दिनांक 07 अगस्त, 2012

अधिसूचना

राज्यपाल, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56 वर्ष 2007) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के निस्तारण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक-एक अपीलीय अधिकरण का गठन करते हैं।

2. राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अपीलीय अधिकरणों की अध्यक्षता सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।

(सुबर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 894 / XVII-2 / 2012-01(14) / 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


1. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लिथोप्रेस, रुड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां परिनियेतन में प्रकाशित कर यथाशीघ्र समाज कल्याण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से।

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
संख्या: 1054 XVII-2/2012-01(14)/2008
देहरादून : दिनांक : 21 सितम्बर, 2012


कार्यालय ज्ञाप

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56 वर्ष 2007) के प्रयोजनार्थ श्री राज्यपाल समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सम्बन्धित जनपदों में भरण-पोषण अधिकारी पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


(एम0एच0 खान)
सचिव। 08

पृष्ठांकन संख्या: 1054 / XVII-2 / 2012-01(14) / 2008 तददिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 2- मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टग्टा)
अपर सचिव। 08